

पत्र संख्या : रब / 4701 यो०ज०सं०-०२ / 2012 । ६२

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० कौ० शतपथी,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : २७.१२.१२

विषय :-

मॉग संख्या-49—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80—सामान्य, लघु शीर्ष-796—जन—जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-74—मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व, विस्तृत शीर्ष-05—निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180796740545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में बजट मुख्य शीर्ष 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट-2 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	8
1.	49—जल संसाधन विभाग / 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80—सामान्य	796—जन—जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 74—मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,	05—निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180796740545	- 27.83

शुद्ध अतिरिक्त आवंटित राशि — ऋणात्मक ₹ सताईस लाख तेरासी हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध रु. 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र के अन्तर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत परिशिष्ट-2, पर वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा रख्यं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक पर में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

11.4/  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

60  
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)  
उप सचिव (अभि.)

11/12  
(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

11/12  
(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

**नोट :** यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।  
अनुलग्नक—यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 162

रॉची, दिनांक :- 27/12/12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/देवघर/साहेबगंज सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 162

रॉची, दिनांक :- 27/12/12

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

सुरेश प्रसाद भगत  
सहायक अभियंता

जयप्रकाश भट्टाचार्य  
उप सचिव (अभि.)

सुबोध कुमार सिन्हा  
संयुक्त सचिव (अभि.)

बी. सी. निगम  
(एस० के० शतपथी)  
विशेष सचिव  
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक । ६२

दिनांक २३.१२.१२

का अनुलग्नक

परिविष्ट - १

मौग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग  
मुख्य शीर्ष-४७०१ मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिवय,

उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामाच,

लघु शीर्ष-७९६-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,  
उप शीर्ष-७४-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,  
शीर्ष-०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड- ४९P470180796740545  
वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपबंध 1500.00 लाख (पञ्चह करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रांडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन	अन्युक्ति
				सारि	प्रसंग	तक का व्यय	पूर्व का आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिंचाई प्रमण्डल सं०-१, बरहेट	देवधर	गुमानी बराज योजना	16258.67	36 / 22.03.07	117.05	-74.74
2	सिंचाई प्रमण्डल, बरहरा					42.31	113.47
						46.91	160.38
						230.52	-27.83
						202.69	

शुद्ध अतिरिक्त आवंटित राशि - ऋणात्मक ₹ सताईस लाख तेरासी हजार मात्र।

M.M.P

G.C

S.K

(बी. सी. निर्माण)  
विशेष सचिव

(एस० के० शतापथी)  
प्रधान सचिव

(सुरेश प्रसाद भट्टाचार्य)  
सहायक अमियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
उप सचिव (अमि.)

पत्रांक :- 162

दिनांक 27.12.11

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड 49P470180796740545

(लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	एकारणामा सं० /तिथि	पूर्व का आबंटन	आबंटन			कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति	
						प्रत्यर्पण	अतिरिक्त आबंटन	शुद्ध अतिरिक्त आबंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 सिंचाइ प्रमंडल सं०-1 बरहेट युमानी बराज योजना	1 Const. of Barrage including H/R Gates 2 Residual E/W in Dariyapur Disty(Ch0.00-261.00) 3 Construction of CD at ch 108 of Dariyapur distry . 4 Construction fo SLR bridge at ch 110 of Dariyapur 5 Construction of CD at ch 125 of Dariyapur distry . 6 Residual E/W of bed clearance between 216 to 253 of GMC 7 Construction of CD work at ch 118,180,221,232&323 of Dariyapur Disty 8 Repair of C D at Ch 49,79,85,91,114,135,137&141 of GMC 9 Construction of CD at Ch 87.00 of Dariyapur Disty. 10 R/M of I V,D/G set etc 11 "A" Preliminary 12 Extension of Aflux Bundh 13 Electification Barrage colony, Barrage and restoration of electric wiring in irrigation colony Barheit 14 R/M of Inspection Bangalow 15 Seasonal labour during Comissioning & opeartion of canal 16 Restoration of Residential Building in Divisional Colony At Barheit	24F2/07-08	30.00	30.00	0.00	-30.00	0.00				
		2F2/07-08	8.50	8.50	0.00	-8.50	0.00				
		06F2/11-12	6.30	2.00	0.00	-2.00	4.30				
		07F2/11-12	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
		08F2/11-12	9.66	3.66	0.00	-3.66	6.00				
		5F2/10-11	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00				
		4F2/05-06	4.13	4.13	0.00	-4.13	0.00				
		3F2/10-11	3.62	3.62	0.00	-3.62	0.00				
		6F2/09-10	7.34	5.83	0.00	-5.83	1.51				
			2.50	0.00	3.50	3.50	6.00				
			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
			20.00	20.00	0.00	-20.00	0.00				
			2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
			2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
			0.50	0.50	0.00	-0.50	0.00				
			1.50	0.00	0.00	0.00	1.50				
				योग	117.05	78.24	3.50	-74.74	42.31		
2 सिंचाइ प्रमंडल, बरहरवा युमानी बराज योजना	1 Construction of Superpassage at ch 542 of GMC 2 Residual Earth work from Ch. 606.50 to 618.00 of BBC 3 R/E/w at ch. 618.00 to 708.00 of BBC 4 Construction of SLR bridge at ch 599of GMC 14F2 /2010-11 5 Construction of Guard wall at ch 450 of BBC 4F2/2011-12 6 Residual work of S L R bridge at ch 399.20 of G M C. 7 "A" Preliminary 8 Residual Earth work from Ch.0.00 to 60.50 tof BBC 9 Construction of DLR Bridge at ch. 554.00 & 606.00 10 Residual & damage repair of CDatch438.0,463.5, 469,482, 496 ,529,585,603of GMC & 2,69,78,90,94, 285,412,454,467.5,473,486,524&597of BBC. 11 R/m of 3 Nos I/V 12 Seasonal labour during Comissioning & operation of 13 Restotation of Godown and Office Building At Barharwa 14 Purchase of Generator 15 Contruction SLR Bridge at ch 233 of BBC 16 Construction SLR Bridge at ch 585 of GMC 17 Residual work of S L R bridge at ch 490.50 of GMC 18 Construction of CD at Ch 77 of BBC 19 Earth work of Bishanpur disty	6F2 2011-11	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35				
		16F2/2010-11	5.58	5.58	0.00	-5.58	0.00				
		5 F2/2011-12	20.35	0.00	0.00	0.00	20.35				
		14F2/2010-11	5.30	0.00	0.00	0.00	5.30				
		4F2/2011-12	3.22	3.22	0.00	-3.22	0.00				
		3F2/10-11	0.92	0.14	0.00	-0.14	0.78				
			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
			12.00	12.00	0.00	-12.00	0.00				
			50.00	50.00	0.00	-50.00	0.00				
			5.00	5.00	0.00	-5.00	0.00				
			1.00	0.00	0.60	0.60	1.60				
			0.25	0.25	0.00	-0.25	0.00				
			0.50	0.00	0.00	0.00	0.50				
			1.00	0.00	0.50	0.50	1.50				
			0.00	0.00	17.00	17.00	17.00				
			0.00	0.00	26.00	26.00	26.00				
			0.00	0.00	2.00	2.00	2.00				
			0.00	0.00	15.00	15.00	15.00				
			0.00	0.00	62.00	62.00	62.00				
				योग	113.47	76.19	123.10	46.91	160.38		
				कुल योग	230.52	154.43	126.60	-27.83	202.69		
शुद्ध अतिरिक्त आवंटित राशि – ऋणात्मक ₹ सताईस लाख तेरासी हजार मात्र।											

(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अधिकारी(जयप्रकाश भट्टाचार्य)  
उप सचिव (अधि.)(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अधि.)(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव